

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 594]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 24, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्र. 120-एफ-6-7-2009-अट्टारह-3.—राज्य शासन, एतद्द्वारा भेलसा रामलीला मेला समिति का गठन भेलसा रामलीला मेला विधान, 1956 (विधान क्रमांक 21 सन् 1956) की धारा 02 की उपधारा (1), (2), (2-अ) व (3) के साथ पठित धारा 08 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए “भेलसा रामलीला मेला समिति, विदिशा (म. प्र.)” में 03 वर्ष के लिये निम्नानुसार व्यक्तियों को सदस्य तथा सचिव नियुक्त करता है:—

- | | |
|---|---|
| 1. कलेक्टर, जिला विदिशा | —अध्यक्ष |
| 2. श्री गिरधर शास्त्री | —सदस्य (शासन द्वारा नामांकित) |
| 3. श्री ज्ञानसिंह जाट | —सदस्य (शासन द्वारा नामांकित) |
| 4. श्री अवधेश दुबे, पार्षद | —सदस्य (न. पा. विदिशा द्वारा नामांकित) |
| 5. श्री चन्द्रकिशोर मिश्र, शास्त्री | —सदस्य (रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित) |
| 6. श्री सुरेश कुमार शर्मा, शास्त्री | —तदैव— |
| 7. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा | —तदैव— |
| 8. श्री छत्रपाल शर्मा | —तदैव— |
| 9. श्री संतोष जाट | —तदैव— |
| 10. श्री नरनारायण शर्मा | —तदैव— |
| 11. श्री सुरेश बाबू शर्मा, एडवोकेट अहमदपुद वाले | —सचिव (शासन द्वारा नियुक्त) |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.